

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी-श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-27 /2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भोमाराम पुत्र रूपाराम		1. घेवरराम पुत्र केसाराम
2. भगवानाराम पुत्र रूपाराम		2. नेनाराम पुत्र केसाराम
3. हिम्मताराम पुत्र रूपाराम		3. जीवाराम पुत्र केसाराम
4. भीमाराम पुत्र रूपाराम		4. लेहरो बैवा केसाराम
जाति मेघवंशी निवासी छाछरलाई		5. पूनमाराम पुत्र वरधाराम
खुर्द तहसील पचपदरा जिला		6. मोहनराम पुत्र वरधाराम
बाड़मेर।		जाति मेघवाल निवासी छाछरलाई
		खुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
		7. राजस्थान राज्य जरिये
		तहसीलदार पचपदरा
		8. शाखा प्रबंधक,एस.बी.बी.जे.
		वर्तमान में एस बी आई बैंक
		शाखा सरवडी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक- 12/9/22



संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 05 रकबा 96-17 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 28.02.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 05 रकबा 96-17 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	भोमाराम, भगवानाराम, हिम्मताराम, भीमाराम पि. रूपाराम कौम मेगवंशी सा. छाछरलाई खुर्द खातेदार	कल्याणपुर	05	48-08-10	बा.अ.	12.10	लाल
2	मिमली बुधकी गीता इन्द्रा पुत्रियां केसाराम, घेवरराम, नेनाराम, जीवाराम -पि. केसाराम मोहनराम पूनमाराम पि. वरदाराम कौम मेगवंशी सा. छाछरलाई खुर्द खातेदार रहन. नेनाराम पुत्र केसाराम का हि SBBJ शाखा सरवड़ी के पास में	कल्याणपुर	05	48-08-10	बा.अ.	12.10	काला

तहसीलदार, कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(नरेश साहू)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 12.09.2012 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा